



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 13, बुधवार, शाके 1937-जून 3, 2015
Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1937-June 3, 2015

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
ORDER

Jaipur, May 12, 2015

No. F.3(6)Estt./RLA/1991 Part-III/2008-2015.- In exercise of the powers conferred under Rule 4(2) of Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, Hon'ble Speaker, Rajasthan Legislative Assembly hereby issues the following order to make further amendments in the schedule, namely:-

- Short title and commencement.**- (A) These Rules may be Called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2015.
(B) They shall come into force with immediate effect.
- Amendment in Schedule.**- (1) In the heading "Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Ministerial Service", at S.No. 2 Column No. 2 existing expression "Upper Divisional Clerk" shall be substituted by the following, namely:- "Clerk Grade-I".
(2) In the heading "Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Ministerial Service" at S. No. 3 Column No. 2 existing expression "Lower Divisional Clerk/proof reader/Telephone Operator/ Teleprinter Operator / Bi- lingual typist" shall be substituted by the following, namely:- "Clerk Grade-II/ Telephone Operator".
(3) After the existing serial number 17 in th heading " Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service," following serial No. 17 a and entries therein shall be inserted, namely:-

17a	Chief Research and Reference Officer	100% by promotion	3 years experience on the post mentioned in column 5	Research and Reference Officer	On the basis of seniority cum merit	Promotion to the post shall be made on the the recommendations of a DPC to be constituted by the Speaker for the purpose of Judging suitability for the post the DPC will consider the APR's and other service record of the incumbent.
-----	--------------------------------------	-------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	---

By Order,
Prithvi Raj,
Special Secretary.

अधिकृत हिन्दी अनुवाद

राजस्थान विधान सभा सचिवालय
आदेश

जयपुर, मई 12, 2015

संख्या प.3(6)संस्था/विस/1991पार्ट-III/2008/15:- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 1992 के नियम 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा इन नियमों की अनुसूची में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (अ) यह नियम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (संशोधन) नियम, 2015 कहलायेंगे।
(ब) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
- अनुसूची में संशोधन :-** (1) शीर्षक " राजस्थान विधान सभा सचिवालय मंत्रालयिक सेवा " के अधीन विद्यमान क्रम संख्या 2 के स्तम्भ संख्या 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ लिपिक" "क्लर्क ग्रेड-1" से प्रतिस्थापित की जाएगी।

(2) शीर्षक "राजस्थान विधान सभा सचिवालय मंत्रालयिक सेवा" के अधीन विद्यमान क्रम संख्या 3 के स्तम्भ संख्या 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ लिपिक/ प्रूफ रीडर/टेलीफोन ऑपरेटर/टेलिप्रिन्टर ऑपरेटर/द्विभाषी टंकक" "क्लर्क ग्रेड-II /टेलिफोन ऑपरेटर" से प्रतिस्थापित की जाएगी।

(3) शीर्षक "राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अधीन विद्यमान क्रम संख्या-17 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या-17ए तथा उनकी प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

17ए	मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	कॉलम संख्या 5 में वर्णित पद पर तीन वर्ष का कार्यानुभव	अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी	वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर	माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पद पर पदोन्नति की जाएगी। पद की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए विभागीय पदोन्नति समिति पात्र अभ्यर्थियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं अन्य सेवाभिलेखों की जांच करेगी।
-----	----------------------------------	----------------------	---	----------------------------	--------------------------------	--

आज्ञा से,
पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।